CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 161 □ रायपुर, शनिवार 4 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

चंपत राय के समर्थन में संत मंडल, कहा- इस्तीफा स्वीकार न करे ट्रस्ट, उन्होंने खुद एसआईटी जांच का अनुरोध किया

नई दिल्ली, 4 जुलाई (न्यूज चैनल)। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अयोध्या संत मंडल खुलकर उनके समर्थन में उतर आया है। प्रेस वार्ता में संतों ने ट्रस्ट से अपील की कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि वे लंबे समय से चंपत राय को जानते हैं और उनकी निष्ठा, ईमानदारी तथा कार्यशैली पर उन्हें पूरा विश्वास है। संतों ने कहा कि चंपत राय पूरी तरह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ प्रसारित की जा रही बातें निराधार एवं तथ्यहीन हैं। उन्होंने मीडिया में चल रहे आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बिना तथ्यों के किसी की छवि धूमिल करना उचित नहीं है। संत मंडल ने कहा कि चंपत राय ने स्वयं पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच कराने का अनुरोध किया था, जो उनकी पारदर्शिता और न्यायप्रियता का प्रमाण है। सरकार द्वारा तत्काल एसआईटी का गठन किए जाने को भी संतों ने सराहनीय कदम बताया। संतों ने यह भी कहा कि लगातार आरोपों और बयानबाजी के बावजूद चंपत राय ने संयम बनाए रखा है और सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने उनके धैर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या के सभी संतों का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रेस वार्ता में संतों ने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि से भी कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कोष की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त चिंता क्यों नहीं की गई।

ट्रैक्टर के केजव्हील में फंसी मासूम, इलाज के दौरान हुई मौत

धमतरी, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से शनिवार को हृदयविदारक दुर्घटना सामने आई. खेलते-खेलते 5 साल की मासूम ट्रैक्टर की चपेट में आ गई. हादसे में मासूम दीक्षा साहू की मौत हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना कुरूद थाना क्षेत्र के चारभाटा की है। जानकारी के मुताबिक, मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान वह पास से गुजर रहे ट्रैक्टर में लगे केजव्हील में फंस गई. दर्दनाक हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं परिजनों में मातम पसर गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, आज से प्रदेश में भाजपा का चिंतन शिविर हो रहा है। चुहिया- हां जी, नकटी गांव ने चिंतन करने बाध्य कर दिया है।

घर में सोलर पैनल लगाने के दौरान दर्दनाक हादसा

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 2 टेक्निशियन की हुई मौत

रायपुर, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोलर पैनल लगाने के दौरान बड़ी घटना हो गई. हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो सोलर टेक्निशियन की मौत हो गई. मृतकों की पहचान प्रमोद चंद्राकर (25 साल) और आशीष चंद्राकर (19 साल) के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, पुरानी बस्ती थाना के प्रोफेसर कॉलोनी का पूरा मामला है. जहां शनिवार को एक घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए तीन मजदूर पहुंचे हुए थे. काम के दौरान घटनास्थल से गुजर रही हाईटेंशन तार की चपेट में दो लोग आ गए. दर्दनाक हादसे में प्रमोद और आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुरानी बस्ती पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है।

जन्मदिन की पार्टी में विवाद, युवक को बोलेरो से रौंदा, मौत

कोरबा, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। कोरबा में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक सिरफिरे युवक ने बीती रात मीरा रिसॉर्ट के बाहर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए मामूली विवाद के बाद एक युवक ने बदले की नीयत से दूसरे पर बोलेरो कैंपर वाहन चढ़ा दिया, जिससे दीपका निवासी उज्जवल सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में क्षेत्र के कई रसूखदार और प्रभावशाली परिवारों से संबंध रखने वाले युवक भी शामिल थे, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर इलाके में हडकंप मच गया है। उरगा पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, दीपका क्षेत्र से करीब 20 से 25 युवक शुक्रवार की रात अपने साथी विकास हुड्डा का जन्मदिन मनाने उरगा मार्ग पर स्थित मीरा रिसॉर्ट पहुंचे थे। रात करीब 11 बजे पार्टी के दौरान तुषार ढांडा और उज्जवल कुमार सिंह (36 वर्ष, पिता चंद्रमा सिंह) के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। रिसॉर्ट के भीतर शुरू हुआ यह विवाद वहां तो शांत हो गया, लेकिन देर रात करीब 1.30 बजे चेक-आउट करने के बाद रिसॉर्ट के बाहर सडक पर फिर से भडक़ उठा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रिसॉर्ट के बाहर विवाद बढऩे पर आरोपी तुषार ढांडा ने तैश में आकर अकेले ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसने अपनी बोलेरो कैंपर गाड़ी स्टार्ट की और सडक़ पर खड़े उज्जवल सिंह को पूरी रफ्तार से कुचल दिया। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि उज्जवल गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इस आत्मघाती और जानलेवा हमले के वक्त वहां कई रसूखदार घरों के लडक़े भी मौजूद थे, जो वाहन की रफ्तार देखकर खौफ में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुषार ढांडा अपनी गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। रिसॉर्ट परिसर और सडक़ पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। लहूलुहान उज्जवल को उसके साथियों द्वारा तत्काल जिला चिकित्सालय कोरबा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही उरगा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उरगा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी तुषार ढांडा के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस रिसॉर्ट में मौजूद अन्य चश्मदीद युवकों से पूछताछ कर रही है ताकि विवाद की मुख्य वजह का पता लगाया जा सके।

नकटी के बाद तुता की बारी!

एनआरडीए ने 35 घरों में चस्पा किया नोटिस, संभावित कार्रवाई से ग्रामीणों में दहशत

रायपुर, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अभी शांत हुआ नहीं है कि अब राजधानी से लगे तुता गांव में विवाद पैदा हो गया है. नवा रायपुर डेवलपमेट एथारिटी (एनआरडीए) ने गांव के 35 मकानों पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया है. इसके साथ ही इन मकानों में रहने वालों के बीच दहशत पैदा हो गई है।

एनआरडीए द्वारा 30 जून को जारी के नोटिस में ग्रामीणों पर प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है. नोटिस में 6 जुलाई तक जवाब देने का समय के साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय पर जवाब नहीं दिया गया तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का तर्क है कि वे इस जगह पर पिछले 25 से 50 वर्षों (दशकों) से रह रहे हैं, और उनकी पूरी पीढ़ी यहीं पली-बढ़ी है. उनका सवाल यह है कि यदि उनका आशियाना अवैध था, तो इतने दशकों तक प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह खामोश क्यों रहा?

ग्राम पंचायत सचिव निलंबितः शासकीय कार्यों में लापरवाही और राजनीतिक संलिप्तता पर गिरी गाज

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रशासनिक शिथिलता और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सेमरा के तत्कालीन एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत तरईगांव के सचिव किशन राठौर को गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं, शासकीय आदेशों की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सचिव किशन राठौर के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान उन पर लगे कई गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शासकीय प्राथमिक शाला भवन के ध्वस्तीकरण (गिराने) एवं पुनर्निर्माण कार्य में नियमों को ताक पर रखना।

अटैचमेंट के आदेश से बच्चों के भविष्य पर संकट शिक्षिकाओं की वापसी से पालकों की बढ़ी चिंता

बलौदाबाजार, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। बिना शिक्षकों के स्कूल कैसे चलेगा और 95 बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? यही सवाल है बलौदाबाजार के इग्नाइट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पालकों का। पूरा मामला शासकीय कार्यालय से अटैच शिक्षकों को मूल पदस्थापना के आदेश से जुड़ा हुआ है। दरअसल, शासन ने शासकीय कार्यालयों में अटैच शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर भेजने के आदेश जारी किए हैं. लेकिन बलौदाबाजार जिले में इस आदेश का असर स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों पर भी दिखाई देने लगा है. नवीन इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से तीन शिक्षिकाओं को उनके मूल स्कूल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गौर करने वाली बात यह है कि ये शिक्षिकाएं किसी शासकीय कार्यालय में नहीं, बल्कि स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही थीं।

इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अब तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. यहां दूसरे स्कूलों से व्यवस्था के आधार पर शिक्षकीय कार्य कराया जा रहा था. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई बच्चों ने बेहतर शिक्षा की उम्मीद के साथ इस स्कूल में प्रवेश लिया है. ऐसे में शिक्षकों की वापसी की कार्रवाई ने अभिभावकों के सामने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। एक ओर पालकों की चिंता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर आदेश के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नकटी के 85 घरों की तोड़फोड़ के विरोध में जिला कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन

गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाना साय सरकार की असंवेदनशीलता व अमानवता का है प्रमाण : तारिणी चन्द्राकर

राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने की गई मांग

धमतरी, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। ग्राम नकटी में 85 परिवारों के घरों पर की गई कथित तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी द्वारा गांधी मैदान में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बरसात के मौसम में परिवारों को बेघर किए जाने से ग्रामीणों के सामने गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित ग्रामीणों को न्याय दिलाने और कथित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर सरकार के खिलाफनारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष तारिणी नीलम चन्द्राकर ने कहा कि ग्राम नकटी में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से 85 परिवार प्रभावित हुए हैं। वर्षाकाल के दौरान लोगों के घरों को तोड़े जाने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने इसे जनविरोधी निर्णय बताते हुए राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने की मांग की है। तारिणी चन्द्राकर ने आगे कहा कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। गरीबों की पीड़ा सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस हमेशा से गरीबों के साथ खड़ी रही है और इस तोड़फोड़ व गरीबों के आशियाने को छिनने के विरोध में भी गरीबों के साथ कांग्रेस खड़ी है। सड़क से लेकर सदन गरीबों के हितो के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार द्वारा बलपूर्वक की गई कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है। जनता भाजपा सरकार की नीतियों से पहले से त्रस्त है उस पर गरीबों के सिर से छत छिनना प्रदेश में तानाशाही की गवाह है। पुतला दहन के दौरान विधायक ओंकार साहू, अरविंद दोशी, कविता बाबर, आनंद पवार, आकाश गोलछा, गौतम वाधवानी, योगेश शर्मा, राजेश पाण्डेय, सूर्याप्रभा चेटियार, शास्त्री सोनवानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।

राज्यपाल के दया याचिका खारिज करने के फैसले पर दोबारा विचार का कोई प्रावधान नहीं : हाईकोर्ट

बिलासपुर, 4 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान की शक्ति एक स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है। यदि राज्यपाल एक बार किसी कैदी की दया याचिका खारिज कर देते हैं, तो जेल नियमों में उस पर दोबारा विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा है, न्यायपालिका कार्यकारी निर्णय में तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि वह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण न हो। इस टिप्पणी के साथ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कुदुदंड बिलासपुर निवासी हत्या के दोषी नीरज माली उर्फ गोलू की याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल, याचिकाकर्ता नीरज माली को बिलासपुर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 18 अप्रैल 2001 को हत्या (धारा 302, 148 आईपीसी) के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी सजा बरकरार रहने के बाद यह फैसला अंतिम हो गया था। कैदी ने वर्ष 2016 में राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर कर सजा माफी की गुहार लगाई थी। जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) ने उसके अच्छे आचरण को देखते हुए समय पूर्व रिहाई की सकारात्मक सिफारिश भी की थी। 24 मार्च 2023 को सक्षम प्राधिकारी (राज्यपाल) ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद जुलाई 2023 में कैदी की पत्नी ने पारिवारिक और मानवीय आधारों का हवाला देते हुए इस फैसले पर दोबारा विचार करने का आवेदन दिया, जिसे गृह (जेल) विभाग ने 9 जुलाई 2025 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि

'छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968' के नियम 775 में पुनर्विचार का कोई प्रावधान नहीं है। इसके खिलाफ कैदी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

कैदी के अधिवक्ताओं का तर्क था कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए (जिसमें 14 वर्ष की वास्तविक जेल काटना अनिवार्य है) के बंधनों से मुक्त है। कैदी लगभग 10 वर्ष से अधिक की सजा काट चुका था और जेल नियमों के अनुसार वह नई याचिका का हकदार था। साथ ही उसकी बहन और पिता की मृत्यु के बाद परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर विचार होना चाहिए।

मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सरकारी रिकॉर्ड और नोटशीट का अवलोकन करने के बाद पाया कि विभाग ने केवल 14 साल की अवधि न होने के कारण याचिका खारिज नहीं की थी, बल्कि अपराध की गंभीरता और क्रूरता को भी ध्यान में रखा गया था। कोर्ट ने कहा, कैदी की पत्नी द्वारा दिया गया आवेदन एक नई दया याचिका नहीं, बल्कि पुराने खारिज फैसले पर पुनर्विचार की मांग थी। हाईकोर्ट ने याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया, लेकिन कैदी को एक कानूनी रास्ता देते हुए यह स्पष्ट किया कि इस आदेश का यह मतलब नहीं है कि याचिकाकर्ता भविष्य के रास्ते बंद हो गए हैं।

एनएचएम के डीटीसी की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने कहा- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का नहीं हुआ पालन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जिला प्रशिक्षण समन्वयक/एचआर (डीटीसी) के पद पर कार्यरत दिलीप कुमार मधुकर की सेवा समाप्ति (बर्खास्तगी) के आदेश को निरस्त करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने माना कि विभाग द्वारा कार्रवाई करते समय मानव संसाधन नीति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का समुचित पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि विभाग द्वारा सेवा समाप्ति की कार्रवाई अपनी ही मानव संसाधन नीति के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से पूर्व निष्पक्ष एवं विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है, किन्तु वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आया कि कर्मचारी के विरुद्ध सेवा समाप्ति का निर्णय पूर्ण एवं विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया। न्यायालय ने माना कि केवल कारण बताओ सूचना जारी कर उत्तर प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विभागीय नीति के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार के आरोपों के आधार पर सेवा समाप्ति की जाती है और उससे उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, तब ऐसी कार्रवाई पूर्णत: निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप होना आवश्यक है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित आदेश न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं सकता। इन्हीं तथ्यों एवं कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी सेवा समाप्ति (बर्खास्तगी) के आदेश को निरस्त कर दिया।

CMYK